318

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक-प्र07-कि0आ0-02/2010(खण्ड-2) 2297 /खाद्य,पटना/दिनांक 30.3.2011

प्रेषक,

त्रिपुरारि शरण,
प्रधान सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी ।

विषयः- उपभोक्ताओं को अनुमान्य देय मात्रा के अनुरूप किरासन तेल की आपूर्ति करने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रतिमाह जन वितरण प्रणाली के माध्यम से किरासन तेल की अनुमान्य देय मात्रा ग्रामीण क्षेत्र के सर्वेक्षित परिवारों के लिए प्रति परिवार 2.750 लीटर (पौने तीन लीटर) एवं शहरी क्षेत्र के सर्वेक्षित परिवारों के लिए प्रति परिवार 2.250 लीटर (सवा दो लीटर) मार्च, 2011 से निर्धारित की गयी है जो उक्त माह से ही प्रभावी हैं । इस संबंध में निर्गत विभागीय आदेश ज्ञापांक 1841 दिनांक 08.03.2011 पूर्व में ही उपलब्ध करा दिया गया है ।

प्रत्येक माह अनुमान्य देय किरासन तेल की आपूर्ति उपभोक्ताओं को जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं द्वारा की जाय यह सुनिश्चित करना सरकार का दायित्व बनता है । इसके लिए यह आवश्यक है कि सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के पास आवश्यक नपना अनिवार्य रूप से उपलब्ध हो ।

अतएव अपने स्तर से सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी / प्रभारी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को यह निदेशित किया जाय कि उनके कार्य क्षेत्र में कार्यरत सभी जन वितरण प्रणाली दुकानों में अनुमान्य देय मात्रा की आपूर्ति करने हेतु आवश्यक नपना अनिवार्य रूप से उपलब्ध हो, इसे स्वयं निरीक्षण कर एतद् सम्बन्धी प्रमाण-पत्र आपको एक पखवारा के अन्दर उपलब्ध करायें । सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी / प्रभारी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा प्रमाण-पत्र आपको उपलब्ध करा दिया गया है, इस संबंध में एक प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को दिनांक 15.04.2011 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय । जाँच के क्रम में जन वितरण प्रणाली दुकानों में आवश्यक नपना नहीं पाये जाने की स्थिति में संबंधित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी / प्रभारी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी एवं संबंधित दुकानों के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाय ।

विश्वासभाजन

30/03/2011

प्रधान सचिव ।

ज्ञापांक-प्र07-कि0आ0-02/2010(खण्ड-2) 2297 /खाद्य,पटना/दिनांक 30.3.2011

प्रतिलिपि- सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं सभी अनुमंडल पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

30/03/2011

प्रधान सचिव ।